न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 52 / 2024	02.12.2024	31.10.2025

1–इमरान खान पुत्र जगदेव जाति मेव निवासी ग्राम कुटियापुर, उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग, पॉस मशीन कोड सख्या 11917 ग्राम पंचायत बाघोडा, तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1–जिला रसद अधिकारी, खैरथल–तिजारा।

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 02.08.2024 जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा प्रकरण संख्या 10/2024 बअनुवान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा बनाम इमरान खान जिसके द्वारा बेजा तौर पर विधि विरूद्व तरीके से प्राधिकार पत्र संख्या 389/1988 अपीलान्ट को सुने बिना ही समस्त देनदारिया लम्बित रखते हुए निरस्त कर दिया तथा जमा प्रतिभूति राशि जप्त करने का आदेश पारित किया गया है, पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल कर उचित मूल्य सामग्री का उठाव एवं वितरण करने के आदेश पारित किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय प्रतिनिधि –रेस्पोडेन्ट संख्या

--:: निर्णय ::--

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 02.08.2024 जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा प्रकरण संख्या 10/2024 बअनुवान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा बनाम इमरान खान पॉस मशीन कॉड 11917 का प्राधिकार पत्र संख्या 389/1988 विधि–विरूद्व तरीके से अपीलान्ट को बिना सुने साक्ष्य का अवसर दिये बिना समस्त देनदारिया लम्बित रखते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर जमा प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश पारित किये गये है, को निरस्त किये जाने तथा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर उचित मूल्य सामग्री का उठाव एवं वितरण करने की आज्ञा प्रदान किये जाने हेतु पेश की गयी है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एकपक्षीय है, दिनाक 28.05.2024 को संयुक्त जॉच दल खाद्वय विभाग जयपुर द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया था, दिनाक 28.05.2024 को अपीलान्ट स्वयं का ईलाज कराने के लिए हार्दिक ब्रेन एण्ड स्पाईन सैन्टर 63 फैण्डस कॉलोनी, अलवर आया हुआ था। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्रकरण बनाने की मंशा से तहत अदालत के द्वारा उचित मूल्य दुकान का ताला खुलवाया जाकर मौके की मनमाने में जॉच कर जॉच रिपोर्ट दिनाक

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

28.05.2024 को तैयार की गयी है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहत अदालत द्वारा दिनाक 20.06.2024 को प्रकरण दर्ज किया जाकर कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। दिनाक 20.06.2024 को कारण बताओ नोटिस मिन अपीलान्ट के नाम से जारी किया गया है, में उपस्थिति वास्ते कोई दिनाक तहत अदालत के द्वारा नोटिस में दर्ज/अंकित नही की गयी क्योकि तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव के चलते मनमाने रूप से अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही करना चाहते थे। दिनाक 24.06.2024 की तारीख बाबत मिन अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नही किया गया, तथा दिनाक 24.06.2024 को एकतरफा में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तहत अदालत द्वारा निलंबित कर दिया गया एवं अपीलान्ट के विरूद्ध बिना अपीलान्ट को सुने ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये गये है। यहा गौरतलब है, कि अपीलान्ट के नाम से जारी कारण बताओ नोटिस तहत अदालत के द्वारा आदेश दिनाक 24.06.2024 जारी करने के उपरान्त दिनाक 25.06.2024 को तहसीलदार किशनगढबास के माध्यम से वास्ते तामील हेतु प्राप्त हुआ है। अपीलान्ट के विरूद्ध अनुपस्थिति में तैयार की गयी जॉच रिपोर्ट दिनाक 28.05.2024 के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश तहत अदालत द्वारा दिये गये थे तहत अदालत को चाहिये था कि अपीलान्ट को नोटिस विधिवत तामील कराया जाना चाहिए था, अपीलान्ट का जवाब प्राप्त किये जाने, सुनवाई का अवसर प्रदान के उपरान्त ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाना चाहिए था। अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र बाबत तहत अदालत द्वारा जारी निलंबन आदेश दिनाक 24.06.2024 को मिन अपीलान्ट के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में चुनौती देते हुए रिट पेश की गयी जिसकी जानकारी तहत अदालत को होने पर प्रिज्यूडिस होकर अपीलान्ट को बिना सुने एकतरफा में दिनाक 02.08.2024 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध तहत अदालत के द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनाक 20.06.2024 को जारी किया गया है, में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी जॉच रिपोर्ट दिनाक 28.05.2024 के आधार पर निम्न चार आरोप विरचित किये गये।

1– बिना सक्षम अनुमति के उचित मूल्य दुकान कार्यावधि में बंद पाई गयी, जिसे पीछे के दरवाजे से खोलकर जॉच की गयी जिसमें कोई सहयोग नही किया गया।

2– उचित मूल्य दुकान का मूल प्राधिकार पत्र, पोस मशीन स्टॉक रजिस्टर, एम.पी.आर इत्यादि नही पाये गये।

3– बिना सक्षम अनुमति के दोनो दुकानो का स्टॉक भण्डारण एंव वितरण कार्य किया जाना पाया गया।

4– मुताबिक ऑनलाईन रिकार्ड दोनो दुकानो पर कमशः 35130 किग्रा (पोस कोड 11917) एंव 27422 किग्रा (पोस कोड 30925) कुल 62552 किग्रा गेंहू होना था, जबकि मौके पर मात्र 8750 किग्रा गेंहू ही पाया गया। इस प्रकार 53802 किग्रा गेंहू भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाया गया जिसका गबन किया गया है, जो विभागीय स्तर पर तय वसूली दर के हिसाब से लगभग 14,52,654.00/रूपये मात्र का गबन/दुरूपयोग प्रथम द्रष्टया पाया गया।

दिनाक 28.05.2024 को अपीलान्ट बिमार था एवं अपना ईलाज कराने के लिए हार्दिक ब्रेन एण्ड स्पाईन सैन्टर 63 फैण्डस कॉलोनी अलवर गया हुआ था, जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी जॉच दल द्वारा उचित मूल्य दुकान के पीछे के गेट पर लगे ताले को तोडकर मनमाने रूप से रिपोर्ट तैयार की गयी है, जॉच रिपोर्ट पर अपीलान्ट अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर नही है। उचित मूल्य दुकान पर मूल प्राधिकार पत्र, पोस मशीन, स्टॉक रजिस्टर, एम.पी.आर. इत्यादि मौजुद थे, लेकिन प्रकरण बनाने की मंशा से उनको नही पाया जाना दर्ज किया गया है। मिन अपीलान्ट के द्वारा रसद विभाग द्वारा पास नक्शा उचित मूल्य दुकान पर ही वितरण किया जाता है, जिसकी ही जॉच दल द्वारा जॉच की गयी है, अटैचमेन्ट उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत धमुकंड का उचित मूल्य सामग्री का वितरण धमुकड में ही रसद विभाग की अनुमति से ही वितरण कार्य किया जाता था। पोस कोड का स्टॉट नोटिस में गलत दर्ज किया गया है, अपीलान्ट की पोस मशीन 11917 का स्टॉक 34634 किग्रा था, एंव अटैचमैन्ट पोस कोड

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

मशीन 30925 का स्टॉक 9712 किग्रा था जिस समय पोस मशीन अटेचमैन्ट डीलर को संभलवाई गयी है। अपीलान्ट की पोस मशीन 11917 में जो ऑनलाईन स्टॉक दर्शित है, वो कोरोनाकाल से दर्ज चला आ रहा है, उस समय पोस मशीन के जरिये वितरण में नेटवर्क के कारण परेशानी आ रही थी जिस पर तत्समय जिला रसद अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक के आदेशानुसार मैनअल वितरण रजिस्टर से उचित सामग्री का वितरण उपभोक्ताओ को किया गया था। और विभाग से कई मर्तबा निवेदन करने पर भी पोस मशीन में ऑनलाईन स्टॉक को कम नही किया गया उक्त प्रकार से मिन अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का गबन नही किया गया है। कुछ गैहूँ सप्लायर ठेकेदार के द्वारा अपीलान्ट को नही दिया गया जिसकी शिकायत की गयी । अपीलान्ट को जो तहत अदालत द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उसमें गैहू कम होना दर्ज किया जाकर राशि की वसूली दर्ज की गयी है, तो अपीलान्ट का जवाब लिये बिना व समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही मनमाने रूप में अपीलान्ट के विरूद्व 3/7 ईसी एक्ट का मुकदमा विधि विरूद्व तरीके से राजनैतिक दबाव के चलते दिनाक 04.07.2024 को दर्ज कराया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही रही है, केवल राजनैतिक दबाव के चलते अपीलान्ट के विरूद्व संयुक्त जॉच दल की कार्यवाही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में की गयी है। उचित मूल्य दुकान का लाईसेंस पहले अपीलान्ट के पिता के नाम से जारी था, जिनके देहान्त के पश्चात लाईसेंस विरासत अपीलान्ट को वर्ष 2014 में प्राप्त हुआ था। अपीलान्ट वर्ष 2014 से उचित मूल्य दुकानदार का कार्य पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पत्र हो गया है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट स्वयं का व अपने परिवार की गुजर बसर करता है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है, कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ निर्णय या फेसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। जो तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नही किया गया है। जिस कारण से एंकपक्षीय निर्णय दिनाक 02.08.2024 प्रकरण संख्या 10/2024 बअनुवान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा बनाम इमरान खान जिसके द्वारा अपीलान्ट (पॉस मशीन कोड 11917) का प्राधिकार पत्र संख्या 389/1988 विधि विरूद्व तरीके से निरस्त किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे, एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 389/1988 बहाल करते हुऐ उचित मूल्य दुकान 1/2 भाग, ग्राम पंचायत बाघोडा, तहसील किशनगढबास का उठाव एवं वितरण सप्लाई चालू करने के आदेश प्रदान किये जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालय की निम्नलिखित नजीरे पेश की गयी है:– अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय क्रंमशः दिनाक 27.08.2025 उनवान जीएसएस रेंणी उचित मूल्य दुकानदार 1/4 भाग ग्राम पंचायत रैणी बनाम जिला रसद अधिकारी अलवर, मातादीन मीणा ग्राम मोतीवाडा बनाम जिला रसद अधिकारी अलवर एवं न्यायालय हाजा के निर्णय दिनाक 26.12.2024

विद्वान विभागीय प्रतिनिधी ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्राक एफ. 77 (6) खा.वि/सत/खैरथल–तिजारा/2024 दिनाक 27.05.2024 के निर्देशानुसार जॉच दल गठित कर प्रकरण की दिनाक 28.05.2024 को जॉच की गयी। शिकायत में अंकित दुकान संख्या 11917 मूल दुकान एफ.पी.एस बाघोडा एंव अर्टेच 30925 धमूकड प्रवीण कुमार की दुकानो का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करने हेतु पहुचे, मौके पर दुकान बंद पायी जाने पर उचित मूल्य दुकानदार इमरान खान की पत्नी वरीसा बानो एवं अन्य गवाहो की मौजुदगी में दुकान के पीछे बने हुऐ घर के साथ अर्टेच दुकान के पीछे खुले दरवाजे को खोलकर निरीक्षण किया गया। मौके पर दुकान के अन्दर 175 कटटे औसतन वनज 50 किग्रा के हिसाब से 87.5 क्वि. (लगभग) गेहूँ दुकान पर भरा हुआ पाया गया। पूछताछ करने पर दुकानदार की पत्नी के द्वारा बताया गया कि उक्त दुकान के साथ धमूकड की उचित मूल्य दुकान प्रवीण

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

कुमार पॉस कॉड 30925 प्रवीण कुमार के नाम से संचालित है, उसका भी इसी दुकान के साथ किया गया था, दोनो दुकानो का वितरण/स्टॉक भण्डारण इसी दुकान के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से दोनो एफ.पी.एस दुकानो का स्टॉक इसी दुकान में रखा है, दोनो दुकानो के स्टॉक की स्थिति निम्नप्रकार से है:–

कंम संख्या	पॉस कोड	उचित मूल्य दुकान	मशीन में अंकित स्टॉक	भौतिक सत्यापन स्टॉक
1	11917	इमरान (बाघोडा)	351.30 क्वि.	
2	30925	प्रवीण कुमार (धमूकड)	274.22 क्वि.	
योगः–			625.52 क्वि.	

मौके पर 538.02 क्वि. गेहूँ भौतिक सत्यापन के दोरान कम पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 538.02 क्वि. गैहूँ का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। डीलर द्वारा बार–बार सूचना करने के बाद भी जॉच हेतु उपस्थित नही हुआ तथा मोबाईल न0 9828542855 बंद कर लिया गया। जॉच उपरान्त प्रथम द्वष्टया विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तथा सुनवाई की तारीख पेशी दिनाक 24.06.2024 नियत की गयी। नियत तिथि को नोटिस तामील होकर प्राप्त नही होने व डीलर द्वारा गंभीर अनियमितता किया जाना प्रथम द्वष्टया प्रतीत होने के कारण डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीलर के विरूद्व संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। रार्शन डीलर उपस्थित होकर जवाब पेश नही किया गया। प्रकरण में दिनाक 02.08.2024 को रार्शन डीलर द्वारा रार्शन सामगी वितरण में की गयी गंभीर अनियमिताऐ/गेहु के गबन किया जाना पूर्णतया स्पष्ट प्रतीत होता है, जो राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976, सपठित पीडीएस कन्ट्रोल 2015 के प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना किये जाने के कारण इमरान खान पोस कोड 11917 ग्राम पंचायत बाघोडा को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 389/1988 को निरस्त किया जाकर रार्शन डीलर की जमा समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार की जाती है, साथ ही रार्शन डीलर के विरूद्व गबन की गयी गेहू की मात्रा की राशि की वसूली की कार्यवाही पीडीआर एक्ट 1952 के अन्तर्गत किये जाने की कार्यवाही पृथक से अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये है। राईशन डीलर द्वारा गंभीर अनियमितताऐ बरती गयी है। प्रकरण में विधिक प्रावधानानुसार कार्यवाही की गयी है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट/विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि दिनाक 28.05.2024 को संयुक्त जॉच दल खाद्यय विभाग जयपुर द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया था, दिनाक 28.05.2024 को ईलाज कराने के लिए हार्दिक ब्रेन एण्ड स्पाईन सैन्टर 63 फैण्डस कॉलोनी, अलवर आया हुआ था। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्रकरण बनाने की मंशा से उचित मूल्य दुकान का ताला खुलवाया जाकर मौके की मनमाने में जॉच कर जॉच रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी। दिनाक 20.06.2024 को प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश तहत अदालत द्वारा दिया गया है। दिनाक 20.06.2024 को कारण बताओ नोटिस अपीलान्ट के नाम से जारी किया गया है, जिसमें उपस्थिति वास्ते कोई दिनाक तहत अदालत के द्वारा नोटिस में दर्ज/अंकित नही की गयी क्योकि तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव के चलते मनमाने रूप से अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही करना चाहते थे। दिनाक 24.06.2024 की तारीख बाबत अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नही किया गया, तथा दिनाक 24.06.2024 को एकतरफा में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तहत अदालत द्वारा निलंबित कर दिया गया एवं अपीलान्ट के विरूद्व बिना अपीलान्ट को सुने ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये गये है। तहत अदालत के द्वारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

आदेश दिनाक 24.06.2024 जारी करने के उपरान्त दिनाक 25.06.2024 को तहसीलदार किशनगढबास के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जबकि वास्ते तामील हेतु तहत अदालत द्वारा जारी नोटिस का अपीलान्ट को विधिवत तामील कराना चाहिए था, अपीलान्ट का जवाब प्राप्त किये जाने, सुनवाई का अवसर प्रदान के उपरान्त ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाना चाहिए था। अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र बाबत तहत अदालत द्वारा जारी निलंबन आदेश दिनाक 24.06.2024 को अपीलान्ट के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में चुनौती देते हुए रिट पेश की गयी जिसकी जानकारी तहत अदालत को होने पर प्रिज्यूडिस होकर अपीलान्ट को बिना सुने एकतरफा में दिनाक 02.08.2024 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी जॉच रिपोर्ट दिनाक 28.05.2024 के आधार पर निम्न चार आरोप विरचित किये गये। दिनाक 28.05.2024 को अपीलान्ट बिमार था एवं अपना ईलाज कराने के लिए हार्दिक ब्रेन एण्ड स्पाईन सैन्टर 63 फैण्डस कॉलोनी अलवर गया हुआ था, जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी जॉच दल द्वारा उचित मूल्य दुकान के पीछे के गेट पर लगे ताले को तोडकर मनमाने रूप से रिपोर्ट तैयार की गयी है, जॉच रिपोर्ट पर अपीलान्ट अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर नही है। उचित मूल्य दुकान पर मूल प्राधिकार पत्र, पोस मशीन, स्टॉक रजिस्टर, एम.पी.आर. इत्यादि मौजुद थे, लेकिन प्रकरण बनाने की मंशा से उनको नही पाया जाना दर्ज किया गया है। मिन अपीलान्ट के द्वारा रसद विभाग द्वारा पास नक्शा उचित मूल्य दुकान पर ही वितरण किया जाता है, जिसकी ही जॉच दल द्वारा जॉच की गयी है, अटैचमेन्ट उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत धमुकड का उचित मूल्य सामग्री का वितरण धमुकड में ही रसद विभाग की अनुमति से ही वितरण कार्य किया जाता था। पोस कोड का स्टॉट नोटिस में गलत दर्ज किया गया है, अपीलान्ट की पोस मशीन 11917 का स्टॉक 34634 किग्रा था, एंव अटैचमैन्ट पोस कोड मशीन 30925 का स्टॉक 9712 किग्रा था जिस समय पोस मशीन अटैचमैन्ट डीलर को संभलवाई गयी है। अपीलान्ट की पोस मशीन 11917 में जो ऑनलाईन स्टॉक दर्शित है, वो कोरोनाकाल से दर्ज चला आ रहा है, उस समय पोस मशीन के जरिये वितरण में नेटवर्क के कारण परेशानी आ रही थी जिस पर तत्समय जिला रसद अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक के आदेशानुसार मैनअल वितरण रजिस्टर से उचित सामग्री का वितरण उपभोक्ताओ को किया गया था। और विभाग से कई मर्तबा निवेदन करने पर भी पोस मशीन में ऑनलाईन स्टॉक को कम नही किया गया उक्त प्रकार से मिन अपीलान्ट द्वारा कोई किसी प्रकार का गबन नही किया गया है, कुछ गैहूँ सप्लायर ठेकेदार के द्वारा अपीलान्ट को नही दिया गया जिसकी शिकायत की। अपीलान्ट को जो तहत अदालत द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उसमें गैहू कम होना दर्ज किया जाकर राशि की वसूली दर्ज की गयी है, तो अपीलान्ट का जवाब लिये बिना व समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही मनमाने रूप में अपीलान्ट के विरूद्व 3/7 ईसी एक्ट का मुकदमा विधि विरूद्व तरीके से राजनैतिक दबाव के चलते दिनाक 04.07.2024 को दर्ज कराया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही रही है, केवल राजनैतिक दबाव के चलते अपीलान्ट के विरूद्व संयुक्त जॉच दल की कार्यवाही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में की गयी है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है, कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ निर्णय या फेसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। जो तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नही किया गया है। जिस कारण से एकपक्षीय निर्णय दिनाक 02.08.2024 प्रकरण संख्या 10/2024 बअनुवान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा बनाम इमरान खान जिसके द्वारा अपीलान्ट (पॉस मशीन कोड 11917) का प्राधिकार पत्र संख्या 389/1988 व्रिधि विरूद्व तरीके से निरस्त किया गया है को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 389/1988 बहाल करते हुऐ उचित मूल्य दुकान 1/2 भाग, ग्राम पंचायत बाघोडा, तहसील किशनगढबास का उठाव एवं वितरण सप्लाई चालू करने के आदेश प्रदान किये जावे।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहत अदालत की पत्रावली में संधारित सर्वप्रथम आदेशिका किस दिनाक को लिखी गयी है, दिनाक अंकित नही है, किन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर दिनाक 20.06.2024 अंकित है, आदेशिका दिनाक 24.06.2024 में अंकित है, कि पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी/डीलर अनुउपस्थित नोटिस तामील होकर प्राप्त नही हुआ है, प्रकरण में डीलर द्वारा गंभीर अनियमितता किया जाना प्रथम द्रष्टया प्रतीत होने के कारण डीलर का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया जाता है, तथा प्रकरण में गभीरता को देखते हुऐ डीलर के विरूद्व संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावे। पत्रावली डीलर के जवाब व एफ.आई.आर की प्रति सहीत दिनाक 08.07.2024 को पेश हो। दिनाक 08.07.2024 की आदेशिका में लिखा गया है, कि अप्रार्थी डीलर को नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी डीलर उपस्थित नही है, न ही नोटिस का जवाब पेश किया गया। डीलर के विरूद्व पुलिस थाना किशनगढबास में प्रथम सूचना रिपोर्ट 352/2024 दर्ज करायी जाकर शामिल मिसल हो अप्रार्थी अपना जवाब प्रस्तुत करने का विधि–सम्मत अन्तिम अवसर दिया जाता है, अंकित है। आदेशिका दिनाक 15.07.2024 में अंकित किया गया है, कि डीलर अनुपस्थित है, जवाब प्राप्त नही हुआ है, पत्रावली दिनाक 31.07.2024 को पेश हो दिनाक 31.07.2024 को डीलर अनुपस्थित पत्रावली वास्ते गौर दिनाक 02.08.2024 को पेश हो, दिनाक 02.08.2024 को डीलर उपस्थित नही अप्रार्थी को नोटिस तामील होने के उपरान्त भी आदिनाक तक जवाब प्रस्तुत नही किया गया गम्भीर अनियमितता बरतने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976, सपठित पीडीएस कन्ट्रोल 2015 के प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना किये जाने के कारण इमरान खान पोस कोड 11917 ग्राम पंचायत बाघोडा को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 389/1988 को निरस्त किया जाकर रार्शन डीलर की जमा समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार की जाती है, साथ ही रार्शन डीलर के विरूद्व गबन की गयी गेहू की मात्रा की राशि की वसूली की कार्यवाही पीडीआर एक्ट 1952 के अन्तर्गत किये जाने की कार्यवाही पृथक से अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये है। सर्वप्रथम जो नोटिस रार्शन डीलर को जारी किया गया है, उसमें उपस्थित होने हेतु तारीख पेशी नियत ही नही की गयी है, तहत अदालत का कथन है, कि तारीख पेशी दिनाक 24.06.2024 नियत थी, किन्तु उक्त नोटिस रार्शन डीलर को जर्ये तहसीलदार किशनगढबास के माध्यम से दिनाक 25.06.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसपर रार्शन डीलर द्वारा स्पष्ट दिनाक 25.06.2024 अंकित की गयी है, अर्थात रार्शन डीलर को जारी नोटिस की तामील नियत तिथि गुजरने के पश्चात नोटिस तामील कराया गया। जो नियम विरूद्व है। ऐसी स्थिति में जारी नोटिस की तामील रिपोर्ट का अवलोकन कर पुनः विधिवत नोटिस जारी किया जाना था, किन्तु तहत अदालत द्वारा उक्त तथ्यो को गौर किये बिना ही रार्शन डीलर को जारी नोटिस की तामील मानकर अनुपस्थिति दर्ज की जाकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी है, ओर यदि मान लिया जावे की तामील हो गयी किसी कारण से रार्शन डीलर नियत तिथी पर उपस्थित न हो सका तो तहत अदालत को भी यह देखना चाहिए था की रार्शन डीलर की विधिवत तामील हुई है, या नही यदि नही हुई है, तो पुनः अन्तिम नोटिस जारी कर प्रकरण में कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, किन्तु तहत अदालत के द्वारा विधिक प्रावधानो की पालना न की जाकर कार्याही की गयी है। तहत अदालत की संधारित आदेशिका दिनाक 08.07.2024 में रार्शन डीलर को अन्तिम अवसर दिये जाने का उल्लेख अंकित किया गया है, किन्तु सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नही किया गया है। तहत अदालत द्वारा बिना नोटिस तामील हुऐ ही रार्शन डीलर के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्व तथा विधि द्वारा सुस्थापित विधिक प्रावधानो के विरूद्व है। इसी क्रंम में वक्त बहस वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है, कि पोस कोड संख्या क्रंमश 11917 व 30925 का गैहु का संबंधित ऑगनबाडी केन्द्र कमशः हुसेपुर, धमूकड व चाचाका को ऑफलाईन अवधि 24.09.2020 से 13.07.2022 तक वितरित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

कंम संख्या	अवधि	एफ.पी.एस कोड	ऑगनबाडी केन्द का नाम	गैहु की मात्रा	विशेष विवरण
1–	24.09.2020	11917	हुसैपुर	1500 किग्रा.	
2–	07.01.2021	11917	हुसैपुर	1500 किग्रा.	
3–	28.05.2021	11917	हुसैपुर	1000 किग्रा.	
4–	30.05.2021	11917	हुसैपुर	1000 किग्रा.	
5–	05.08.2021	11917	हुसैपुर	1000 किग्रा.	
6–	22.08.2021	11917	हुसैपुर	1000 किग्रा.	
7–	26.08.2021	11917	हुसैपुर	500 किग्रा.	
8–	04.11.2021	11917	हुसैपुर	1250 किग्रा.	
9–	25.11.2021	11917	हुसैपुर	1250 किग्रा.	
10–	10.01.2022	11917	हुसैपुर	2300 किग्रा.	
11–	15.02.2022	11917	हुसैपुर	2500 किग्रा.	
12–	13.07.2022	11917	हुसैपुर	1500 किग्रा.	
13–	09 / 2020	11917	धमूकड	2000 किग्रा.	
14–	07.01.2021	11917	धमूकड	1500 किग्रा.	
15–	28.05.2021	11917	धमूकड	1000 किग्रा.	
16–	30.05.2021	11917	धमूकड	1000 किग्रा.	
17–	05.08.2021	11917	धमूकड	1000 किग्रा.	
18–	20.08.2021	11917	धमूकड	1000 किग्रा.	
19–	27.08.2021	11917	धमूकड	500 किग्रा.	
20–	03.11.2021	11917	धमूकड	1250 किग्रा.	
21–	25.11.2021	11917	धमूकड	1250 किग्रा.	
22–	10.01.2022	11917	धमूकड	2200 किग्रा.	
23–	15.02.2022	11917	धमूकड	2500 किग्रा.	
24–	13.03.2022	11917	धमूकड	2000 किग्रा.	
25–	21.09.2020	11917	चाचाका	2000 किग्रा.	
26–	07.01.2021	30925	चाचाका	1500 किग्रा.	
27–	28.05.2021	30925	चाचाका	1500 किग्रा.	
28–	30.08.2021	30925	चाचाका	500 किग्रा.	
29–	03.11.2021	30925	चाचाका	500 किग्रा.	
30–	10.01.2022	30925	चाचाका	1000 किग्रा.	
31–	15.02.2022	30925	चाचाका	1500 किग्रा.	
32–	13.03.2022	30925	चाचाका	1000 किग्रा.	
33–	13.07.2022	30925	चाचाका	1100 किग्रा.	

जिसका विवरण / रसीदे पेश किया गया है, तथा अपीलान्ट के द्वारा पोस कोड संख्या 11917 की मशीन दिनाक 04.07.2024 संबधित कार्यालय में जमा करायी जाकर रसीद प्राप्त की गयी है, जिनमें ऑनलाईन स्टोक 34634 किग्रा. तथा पोस कोड संख्या 30925 ऑनलाईन स्टोक 9712 किग्रा. उपलब्ध था, प्रकरण में कारण बताओ नोटिस में गेहु कम होना दर्ज किया जाकर कार्यवाही की गयी है, ऐसी

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

स्थिति में न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 02.08.2024 निरस्त किया जाता है, उचित मुल्य दुकानदार 1/2 भाग पॉस मशीन कोड संख्या 11917 ग्राम पंचायत बाघोडा प्राधिकार पत्र संख्या 389/1988 तुरन्त प्रभाव से बहाल किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजो की रोशनी में प्रकरण की अधिकतम दो माह में सत्यता की जॉच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिवत पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल–शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)